: निर्णय :

(आज दिनांक 14/02/2022 को घोषित)

(1) अभियुक्त/गण का विचारण धुत अधिनियम की धारा 4 (क) के अपराध के लिये किया जा रहा है।

(2) अभियुक्त/गण ने स्वेच्छया अपराध करना स्वीकार किया है। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छापूर्वक की गई स्वीकारोक्ति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है।

(3) अभियुक्त/गण द्वारा स्वेच्छापूर्वक की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त/गण को धुत अधिनियम की धारा 4 (क) के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए सिद्धदोष ठहराया जाता है।

(4) अस्तु अभियुक्त/गण को धुत अधिनियम की धारा 4 (क) के अपराध के लिये न्यायालय उठने तक की सजा एवं रूपये 1000/- अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि जमा करने के व्यतिक्रम पर आरोपी/गण को पॉच दिवस का सादा कारावास पृथक से भुगताया जावें।

(5) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नगद राशि यदि हो तो रूपये 920/- (नो सौ बीस रूपये) राजसात का राजकीय कोष में जमा किया जावें।

(6) शेष सम्पत्ति मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(चारूलता दांगी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सनावद (म0प्र0)

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(चारूलता दांगी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सनावद, (म0प्र0)